प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज **दिनांक 12-11-2023** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ 01 गिरफ्तार थाना कुन्दरकीः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.11.2023 को उ0नि0 ब्रजेश कुमार जयसवाल थाना कुन्दरकी द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त शाने आलम पुत्र सफात हुसैन नि0 ग्राम रुपपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुन्दरकी पर मु0अ0सं0-263/2023, धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2-चैकिंग के दौरान थाना ठाकुरद्वारा पुलिस के द्वारा जनपद मुरादाबाद, बिजनौर, जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) काशीपुर व जसपुर से चोरी गई 12 मोटरसाईकिल के साथ 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश तथा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुरादाबाद एवं क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद के निकट नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा दिनांक 11.11.2023 की रात्रि में चेकिंग के दौरान 01 बाईक सवार व्यक्ति विपिन को रोका गया जिसके कब्जे से

संदिग्ध बाईक बरामद की गई, उसके पास वाहन के रजिस्ट्रेशन/कागजात नहीं थे। पूछताछ में उसके द्वारा स्वीकारा गया कि उसने अपने साथी वासुदेव पुत्र मुनेश सिंह निवासी ग्राम मुनीमपुर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद व मोनू पाल पुत्र रोहिताश सिंह निवासी ग्राम मधुपुरी थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद के साथ कस्बा जसपुर से चोरी की थी। विस्तृत पूछताछ में अभियुक्त विपिन ने बताया कि उसने अपने दोस्त वासुदेव व मोनू पाल के साथ मिलकर पहले भी मुरादाबाद, बिजनौर तथा उधमसिंह नगर से मोटरसाईकिले चोरी की है उनमे से 10 मोटसाईकिल एक बन्द पड़े खण्डहर में छिपा रखी है तथा चोरी की 01 बाईक अभियुक्त विकास कुमार पुत्र स्योराज सिंह ग्राम उदयपुर थाना रेहड़ जनपद बिजनौर जो कबाडी है उसको काटकर बेचने के लिये दे रखी है। इस पर पुलिस द्वारा अभियुक्त विपिन की निशांदेही पर अभियुक्त विकास को जनपद बिजनौर से गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से मोटरसाईकिल के कटे हुये पार्ट्स बरामद किये गये। जिनकी निशांदेही पर थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत बंद पड़े खण्डहर से 10 बाईक बरामद की गई तथा वहां मौजूद अभियुक्त वासुदेव पुत्र मुनेश सिंह निवासी ग्राम मुनीमपुर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 20 वर्ष व मोनू पाल पुत्र रोहिताश सिंह निवासी ग्राम मधुपुरी थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। बरामद मो0सा0 में से एक मोटरसाईकिल थाना ठाकुरद्वारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 470/2023 धारा 379 भा0द0सं0 से सम्बन्धित है। बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 471/2023 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व धारा 411/414 भा0द0सं0 पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-विपिन पुत्र चन्द्र कैलाश निवासी ग्राम महमूदपुर केशो थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

2-वासुदेव पुत्र मुनेश सिंह निवासी ग्राम मुनीमपुर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

3-मोनू पाल पुत्र रोहिताश सिंह निवासी ग्राम मधुपुरी थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

4-विकास कुमार पुत्र स्योराज सिंह ग्राम उदयपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर।

बरामदगीः-

11 मोटरसाईकिल व 01 मोटरसाईकिल के अद्खुले पार्ट (कुल 12 मोटरसाईकिल)

पंजीकृत अभियोगः-

1-मु0अ0सं0 470/2023 धारा 379 भा0द0सं0 थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

2-मु0अ0सं0 471/2023 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व धारा 411/414 भा0द0सं0 थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

अभियुक्त मोनू का आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0 342/2019 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2-मु0अ0सं0 413/2017 धारा 379/504/506 भादवि थाना स्योहरा जनपद बिजनौर।

3-मु0अ0सं0 415/217 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना स्योहरा जनपद बिजनौर।

नोटः अन्य अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम- थाना ठाकुरद्वारा ।

1-प्रभारी निरीक्षक विजेन्द्र सिंह

2-उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार

3-उ0नि0 श्री बृजेश शर्मा

4-उ0नि0 श्री निशान्त पंवार

5-का0 जगदीश

6-का0 गुलशन

7-का0 निशान्त